राज्यपाल सचिवालय, बिहार

(जन–सम्पर्क शाखा)

बिहार लोक भवन, पटना–800022

संख्या–79/2026

प्रेस–विज्ञप्ति

प्राचार्य स्थानांतरण समिति हेतु कुलाधिपति के नामित के सदस्यों के लिए विश्वविद्यालयों से पैनल माँगा गया

पटना 13 मई, 2026 :– विश्वविद्यालयों की प्राचार्य स्थानांतरण समिति में कुलाधिपति द्वारा नामित वर्तमान सदस्यों का नामांकन 15 मई, 2026 के प्रभाव से वापस ले लिया गया है।

इस संबंध में सभी कुलपतियों को निदेशित किया गया है कि वे अपने–अपने विश्वविद्यालय की प्राचार्य स्थानांतरण समिति में कुलाधिपति के नामित सदस्य के रूप में मनोनयन हेतु उच्च नैतिक मूल्यों एवं उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता वाले पाँच प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का पैनल उपलब्ध कराएँ। अनुशंसित व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों अथवा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

कुलपतियों से कहा गया है कि वे प्रस्तावित व्यक्तियों का पूरा जीवन–वृत्त (बायोडाटा) एवं संबंधित प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में राज्यपाल सचिवालय को शीघ्र भेजें, ताकि माननीय कुलाधिपति द्वारा उस पर विचार किया जा सके।

साथ ही, उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि अनुशंसित व्यक्तियों के विरुद्ध विजिलेंस या अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी कोई मामला लंबित नहीं हो तथा वे ऐसे किसी पद पर कार्यरत नहीं हों जिससे हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो।

....